

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना**

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :-133/2025

**प्रार्थी:-**

शक्तिसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत निवासी कोटडियों का बेरा इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा राजस्थान।

**बनाम**

**विप्रार्थी:-**

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना ।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरुस्ती**

**उपस्थित :-**

**श्री ललित जांगिड व गणपतसिंह गोलिया अधिवक्ता प्रार्थी**

**--:: आदेश ::--**

दिनांक :- 03.06.26

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 535 व 542 रकबा क्रमशः 1.4105 व 1.5663 हैक्टेयर भूमि ग्राम कल्याणसिंह की ढाणी तहसील सिवाना में अवस्थित है उक्त भूमियों में प्रार्थी का नाम क्रमशः "छतरसिंह पुत्र धनसिंह" व "चतरसिंह पुत्र धनसिंह" दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात यथा जनआधार कार्ड, राशनकार्ड, आधार कार्ड में प्रार्थी का वास्तविक नाम "शक्तिसिंह पुत्र धनसिंह" दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी का नाम का अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में जनआधार कार्ड, राशनकार्ड, आधार कार्ड आदि प्रस्तुत किये ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी ।



**उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)**

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम "शक्तिसिंह पुत्र धनसिंह" है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 535 व 542 रकबा क्रमशः 1.4105 व 1.5663 हैक्टेयर भूमि ग्राम कल्याणसिंह की ढाणी तहसील सिवाना में प्रार्थी का नाम क्रमशः "छतरसिंह पुत्र धनसिंह" व "चतरसिंह पुत्र धनसिंह" त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के जनआधार कार्ड, राशनकार्ड, आधार कार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम "शक्तिसिंह पुत्र धनसिंह" दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम क्रमशः "छतरसिंह पुत्र धनसिंह" व "चतरसिंह पुत्र धनसिंह" करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम "शक्तिसिंह पुत्र धनसिंह" होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 535 व 542 रकबा क्रमशः 1.4105 व 1.5663 हैक्टेयर भूमि ग्राम कल्याणसिंह की ढाणी तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम क्रमशः "छतरसिंह पुत्र धनसिंह" व "चतरसिंह पुत्र धनसिंह" के स्थान पर "शक्तिसिंह उर्फ छतरसिंह उर्फ चतरसिंह पुत्र धनसिंह" दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 03.06.26 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुरेन्द्र सिंह खंमारोव)  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)  
सिवाना (बालोतरा)